पत्रांक–7/अधीक्षण–19–01/2012 55(7)a
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ,
(सूची संलग्न)

पटना, दिनांक : 17-10-12

विषय : मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–001– निदेशन और प्रशासन–0001–अधीक्षण विपत्र कोड– N2210060010001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹1,03,00,040/– (एक करोड़ तीन लाख एवं चालीस रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत आवंटनादेश सं0–20(7)ब दिनांक–24.4.12 एवं मांग पत्र के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹1,03,00,040/– (एक करोड़ तीन लाख एवं चालीस रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 तथा 4201वि0(2) दिनांक–12.04.2012 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–001– निदेशन और प्रशासन–0001–अधीक्षण विपत्र कोड– N2210060010001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से इसकी निकासी की जायेगी।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी का ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

7. वाहन का ईधन एवं रख–रखाव इकाई में आंवटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय –समय पर निंगत परिपत्रो में निहित निदेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जाय।

8. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक– 96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.3.2001, 241(9) दिनांक–21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।

9. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

10. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

13. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

17/10/12

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 55(7)09 पटना, दिनांक : 17-10-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/राज्य डेमोग्राफर, स्वास्थ्य/प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक/आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित

17/10/12

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में अधीक्षण उपशीर्ष अन्तर्गत क्षेत्रीय उप निदेशक,स्वास्थ्य सेवाएँ कार्यालय के लिए वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव (13–02)	विद्युत प्रभार (13–04)	वर्दी / पोषाक (13–06)	किराया महसूल एवं कर (14–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	पटना	770000	554400	61600	10000	7700	11550	1415250	0	30000	9900	178000	2000	63040	1698190	803/24.8.12
2	सारण (छपरा)	1600000	1152000	128000	0	16000	24000	2920000	0	0	0	0	0	0	2920000	358/12.9.12
3	तिरहुत (मुजफ्फरपुर)	3000000	2100000	240000	0	30000	45000	5415000	266850	0	0	0	0	0	5681850	469/10.7.12, 466/10.7.12
	कुल	**5370000**	**3806400**	**429600**	**10000**	**53700**	**80550**	**9750250**	**266850**	**30000**	**9900**	**178000**	**2000**	**63040**	**10300040**	

(एक करोड़ तीन लाख एवं रूपये चालीस) मात्र

सरकार के संयुक्त सचिव

55(7)a
17-10-12

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (01–01)	31394000	25870000	5370000	31240000	154000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	17267000	13193700	3806400	17000100	266900
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	3139000	2587000	429600	3016600	122400
4	परिवहन भत्ता (01–05)	88000	10000	10000	20000	68000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	209000	77610	53700	131310	77690
6	अन्य भत्ता (01–07)	557000	388050	80550	468600	88400
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**52654000**	**42126360**	**9750250**	**51876610**	**777390**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	450000	0	266850	266850	183150
8	यात्रा व्यय (11–01)	450000	225000	0	225000	225000
9	कार्यालय व्यय (13–01)	450000	225000	30000	255000	195000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (13–02)	1080000	545000	9900	554900	525100
11	दूरभाष (13–03)	162000	87500	0	87500	74500
12	विद्युत प्रभार (13–04)	3100000	1548000	178000	1726000	1374000
13	विधि प्रभार (13–05)	900000	450000	0	450000	450000
14	वर्दी / पोषाक (13–06)	100000	50000	2000	52000	48000
15	किराया मुहसूल एवं कर (14–01)	495000	247500	63040	310540	184460
	कुल योगः–	**59841000**	**45504360**	**10300040**	**55804400**	**4036600**

सरकार के संयुक्त सचिव

55(7)a
17-10-12